बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पटना, दिनांक : 6/3/09

संकल्प

विषय :–समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत समाज कल्याण निदेशालय तथा सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के बीच कार्यो का आवंटन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–602, दिनांक–20.03.07 द्वारा राज्य के विभागों का पुनर्गठन करते हुए समाज कल्याण विभाग का गठन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में दिनांक–01.04.07 से किया गया है। इस पुनर्गठन के कम में पूर्ववती कल्याण विभाग के अंतर्गत्त कार्यरत तीन निदेशालयों यथा कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय एवं समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय (आई० सी० डी० एस० निदेशालय) में से कल्याण निदेशालय को नवगठित अनुसूचित जाति एंव जनजाति कल्याण विभाग के अधीन पुर्नस्थापित किया गया तथा श्रम संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को नवगठित समाज कल्याण के अधीन पुर्नस्थापित किया गया। फलस्वरूप नवगठित समाज कल्याण के अधीन पुनः तीन निदेशालय, यथा समाज कल्याण निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय कार्यरत है।

2. समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय में से समाज कल्याण निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा समाज के एक ही वर्ग अथवा श्रेणी के लोगों के लिये अलग–अलग योजनाएँ संचालित किये जाने से योजना को सम्मिलत रूप से लागू करने एवं अनुश्रवण करने में कठिनाईयों को देखते हुए समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत्त महिला/बाल/किशोर/किन्नर से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशक्तजन से संबंधित योजना एवं अन्य पुर्नवास से संबंधित योजना को संचालित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनो निदेशालयों के बीच कार्यो के बटंवारा का निर्णय लिया जाता है। इसके फलस्वरूप समाज कल्याण निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निम्नांकित योजनाओं की कार्यान्वित किया जाएगा :–

(क) समाज कल्याण निदेशालय :–

(1) महिला एवं बच्चों/किशोर से संबंधित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन एवं समन्वय।
(2) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य।
(3) यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास।
(4) समाज कल्याण बोर्ड।
(5) महिला तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित कार्य।
(7) कल्याण बोर्ड तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित कार्य।
(8) सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन।
(9) जाति प्रथा का उन्मूलन।
(10) किन्नर के विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन।
(11) महिला आयोग/महिला विकास से संबंधित कार्यो का समन्वय।
(12) मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना।
(13) मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना।

(14) अन्तर्जातीय विवाह योजना।
(15) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण।
(16) कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न सुरक्षा कार्यकम।
(17) मानव व्यापार निवारण कार्यकम।
(18) बाल विवाह निषेध कार्यकम।
(19) बाल संरक्षण कार्यकम।

(ख) सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय :–

(1) वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा के पेंशन का वितरण।
(2) वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजना।
(3) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित कल्याणर्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वियन
(4) नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।
(5) अपराधशील जनजातियों तथा समाज बहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वास
(6) भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजना।
(7) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
(8) बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
(9) लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
(10) मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना–विकलांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने की योजना।
(11) राज्य सामाजिक संरक्षण पेंशन योजना।
(12) कबीर अन्तेष्टी अनुदान योजना।
(13) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना।
(14) विकलांग शिक्षा कार्यकम एवं विकलांग छात्रवृत्रि योजना।
(15) भिखमंगों का पुनर्वास।

3. यह आदेश दिनांक–01.04.09 से प्रभावी होगी।

<u>आदेश :–</u> आदेश दिया जाता है, कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी साधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय तथा राजपत्र की 150 प्रतियाँ समाज कल्याण विभाग को प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एस0 सिद्ध),
प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक : 6.3.09

ज्ञापांक संख्या :–स0 क0 विविध–60–74/08 597

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु सी0 डी0 एवं 5 अतिरिक्त हार्ड कॉपी में प्रेषित।

2. राजपत्र की 150 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

(एस0 सिद्ध), 6/3/09
प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक : 6.3.09

ज्ञापांक संख्या :–स0 क0 विविध–60–74/08 597

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/आई0 सी0 डी0 एस0, निदेशालय/सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निःशक्तता आयुक्त, समाज कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्ध), 6/3
प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक : 6.3.09.

ज्ञापांक संख्या :–स0 क0 विविध–60–74/08 597

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्ध), 6/
प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक : 6.3.0

ज्ञापांक संख्या :–स0 क0 विविध–60–74/08 597

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री समाज कल्याण के आप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(एस0 सिद्ध), 6
प्रधान सचिव।